



2026:AHC: 16365

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 41585/2025

श्रीमती सरिता देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित प्रताप सिंह, अशरफ अली

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर किया है:-

(1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील कसया, जनपद कुशीनगर को, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत वाद संख्या 03 वर्ष 2025, कंप्यूटर वाद संख्या T202505440400003 (श्रीमती सरिता देवी बनाम कुलदीप व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06/02/2025 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दे।

2- आज जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के लिए, याचिकाकर्ता के पास राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रस्तर 460 के प्रावधान के अनुसार उचित आवेदन देने का उपयुक्त उपचार उपलब्ध है।

3- मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए और वाद के गुण-दोष पर गौर किए बिना, याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रस्तर 460 के अंतर्गत उचित आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करती है, तो संबंधित प्राधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधि के अनुसार कड़ाई से और शीघ्रता से मामले में निर्णय लेंगे, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलेन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।